पटना समाहरणालय, पटना।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या– 08/आ०प्र० दिनांक 20.05.2014 तथा विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 26(स०अनु०)/आ०प्र० दिनांक 16.07.2014 के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत उप मुख्यशीर्ष – 02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष–118–मछली पकड़ने के लिए खराब किश्तियों तथा उपकरण की मरम्मति/ प्रतिस्थापना के लिए सहायता, उपशीर्ष–0001–**क्षतिग्रस्त नावों की मरम्मति/नये नावों का निर्माण** विपत्र कोड **एन० 2245021180001** मद् में क्रमशः ₹ 12.00 लाख तथा ₹ 7.75 लाख कुल ₹ 19.75 लाख (उन्नीस लाख पचहत्तर हजार रूपये) मात्र का आवंटन इस जिले को प्राप्त हुआ है, जिसे निम्नरूपेण उपावंटित करते हुए संबंधित कोषागार से वित्तीय वर्ष 2014–15 में निकासी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

मांग संख्या – 39, विषय शीर्ष– 31–05–सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों का निर्माण

(राशि :–लाख रूपये में)

क्रमांक	उपावंटित पदाधिकारी का विवरण	पूर्व उपावंटन	वर्त्तमान उपावंटन	योग
01.	प्रभारी उप समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन शाखा, पटना।	0.00	19.75	19.75
	कुल उपावंटित राशि	**0.00**	**19.75**	**19.75**
	जिला में आवंटन के रूप में सुरक्षित राशि			*0.00*
	कुल योग :–			**19.75**

1. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत उप मुख्यशीर्ष –02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष–118–मछली पकड़ने के लिए खराब किश्तियों तथा उपकरण की मरम्मति/ प्रतिस्थापना के लिए सहायता, उपशीर्ष–0001–**क्षतिग्रस्त नावों की मरम्मति/नये नावों का निर्माण विपत्र कोड एन० 2245021180001** मद् में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
2. उपावंटित राशि का व्यय उसी मद् में किया जाय जिस मद् के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद् में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।
3. उपावंटित राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए०सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय–सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति व्यय प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ इस कार्यालय को शीघ्र भेज दी जाय।

4. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष–लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड का स्पष्ट रूप से उल्लेख की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उप शीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। कृपया एक विपत्र पर एक ही उप शीर्ष की राशि की निकासी की जाय ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण में कठिनाई नहीं हो।

5. यह उपावंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561[बी० (2)] दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय।

6. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.2015 के पूर्व निश्चित रूप से कर देंगे। अन्यथा, इसके लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

ह०/–
जिला पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक IV-07/14-15 743 /आ०प्र०, दिनांक 01/08/2014

प्रतिलिपि :– प्रभारी उप समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन शाखा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०,पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।

प्रतिलिपि :– जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

31/7/14

जिला पदाधिकारी,
पटना।

Awantn